

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
 संचिका सं०- १/पी० सी०आर०(विविध)०९-७१-६२/२०१४-
आदेश १५५८
१३.०५.१३

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 21-11-2014 को सम्पन्न अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की कार्यवाही में माननीय मुख्य मंत्री के निदेश की कंडिका-VII के अनुपालन में विभाग के स्तर पर अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 एवं नियम-1995 के प्रावधानों को लागू करने, इससे संबंधित प्रतिवेदनों को समेकित करने, समीक्षा करने, विभागीय प्रतिवेदन तैयार करने, अन्य सूचनाओं को संकलित करने, इत्यादि के लिए विभागीय पत्रांक-922 दिनांक-22.04.2013 द्वारा गठित “विशेष कोषांग” के निम्न प्रकार से पुनर्गठित किया जाता है :—

- | | | |
|----|--|-------------|
| 1. | उप निदेशक,(मु०) अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग – | अध्यक्ष |
| 2. | सहायक निदेशक (को) | “ ” – सदस्य |
| 3. | प्रशाखा पदा० (निदेशालय) | – सदस्य |
| 4. | प्रशाखा पदा० (निदेशालय) | “ ” – सदस्य |
| 5. | सहायक | |
| 6. | सहायक | |
| 7. | कम्प्युटर ऑपरेटर | |

विशेष कोषांग का दायित्व

कोषांग के द्वारा अधिनियम/नियम के प्रत्येक धारा/नियम के उपबंधों के कार्यान्वयन, पीड़ित व्यक्तियों को दी गयी राहत और पुनर्वास सुविधा तथा उससे सम्बद्ध अन्य मामले, अधिनियम के अधीन मामलों का अभियोजन, अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार विभिन्न अधिकारियों और अभिकरणों की भूमिका और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न रिपोर्टों पर विचार करने के पूर्व समेकित प्रतिवेदन/अनुपालन/पुनर्विलोकन की नियमित रूप से समीक्षा करेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


 (एस०/प८० राज०) १५५८
 सरकार के सचिव।

ज्ञाप संख्या— 1/पी० सी०आर०(विविध)०९-७१-६२/२०१४- १५५८ पटना, दिनांक— १३.०५.१५

प्रतिलिपि— निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग / विशेष सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग / उप सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग / अवर सचिव(स्थापना) / सहायक निदेशक(क०) / सचिव के आप्त सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग / संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग / आई० टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उप निदेशक(मु०)।

ज्ञाप संख्या— 1/पी० सी०आर०(विविध)०९-७१-६२/२०१४- १५५८ पटना, दिनांक— १३.०५.१५

प्रतिलिपि— माननीय सांसद / माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, सदस्य राज्य सत्रीय सत्रकर्ता एवं अनुश्रवण समिति को सूचनार्थ प्रेषित।


उप निदेशक(मु०)।

ज्ञाप संख्या— 1/पी० सी०आर०(विविध)०९-७१-६२/२०१४- १५५८ पटना, दिनांक— १३.०५.१५

प्रतिलिपि— सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार / आप्त सचिव, वित्त मंत्री / आप्त सचिव, गृह मंत्री / आप्त सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


उप निदेशक(मु०)।

ज्ञाप संख्या— 1/पी० सी०आर०(विविध)०९-७१-६२/२०१४- १५५८ पटना, दिनांक— १३.०५.१५

प्रतिलिपि— मुख्य सचिव के सचिव, बिहार, पटना / पुलिस महानिदेशक, बिहार / पुलिस महानिरीक्षक (कमजोर वर्ग) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


उप निदेशक(मु०)।

ज्ञाप संख्या— 1/पी० सी०आर०(विविध)०९-७१-६२/२०१४- १५५८ पटना, दिनांक— १३.०५.१५


प्रतिलिपि— सभी विभाग के प्रधान सचिव / सचिव, / विधि विभाग, बिहार, पटना / गृह (आरक्षी) विभाग / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / आरक्षी उप निरीक्षक / महानिदेशक, अभियोजन / निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग / सभी जिला पदाधिकारी / सभी आरक्षी अधीक्षक / सभी उप निदेशक, कल्याण एवं सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उप निदेशक(मु०)।

पटना, दिनांक— १३.०५.१५


ज्ञाप संख्या— 1/पी० सी०आर०(विविध)०९-७१-६२/२०१४- १५५८

प्रतिलिपि— संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप निदेशक(मु०)।

ज्ञाप संख्या— 1/पी० सी०आर०(विविध)०९-७१-६२/२०१४- १५५८ पटना, दिनांक— १३.०५.१५

प्रतिलिपि— निदेशक, राष्ट्रीय अनु० जाति / जनजाति आयोग, १८९, बी श्रीकृष्णापुरी, पटना / सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग / सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग / सचिव, राज्य महादलित आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप निदेशक(मु०)।